न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती निमिषा गुप्ता, आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/223/2013

उनवान

रूपनारायण चारभुजा मन्दिर ट्रस्ट, करणगढ तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा जरिये ट्रस्टी

1. मेवाराम पुत्र जग्गू गर्जर निवासी करणगढ तहसील आसीन्द
2. उदा पुत्र प्रताप गुर्जर निवासी करणगढ तहसील आसीन्द
3. बरलू पुत्र सुरता गुर्जर निवासी करणगढ तहसील आसीन्द
4. मगना पुत्र घीसा गुर्जर निवासी करणगढ तहसील आसीन्द
5. रायमल पुत्र कालु गुर्जर निवासी करणगढ तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट

बनाम

1. चोखा पुत्र नाथू गुर्जर निवासी करणगढ, तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. राजस्थान सरकार, जरिये जिलाधीश, भीलवाडा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, आसीन्द जिला भीलवाडा
4. देवस्थान विभाग ,राजस्थान सरकार जरिये आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर राजस्थान

रेस्पोडण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 187/2011 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.9.2012

अधिवक्तागण :—

1. श्री संजय सेन, अधिवक्ता अपीलाथीगर्ण
2. श्री बी एल वैष्णव,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1

निर्णय

दिनांक 3.1.2019

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 /वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 15, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा करणगढ पटवार हल्का तिलोली तहसील आसीन्द की साबिक आराजी नम्बर 196 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, भूमि जमाबंदी संवत 2009 से 2013 व संवत 2015 से 2018 में नाथू पिता रामा गुर्जर साकिन देह के नाम बतौर काश्तकार दर्ज रेकार्ड होकर काबिज काश्त चली आ रही है। राजस्थान जागीर पुनर्गृहण अधिनियम 1952 लागू हुआ उस वक्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू हुआ उस वक्त भी नाथू पिता रामा बतौर काश्तकार भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। विवादित भूमि रूपनारायण स्थान सेवन्त्री की माफी में होकर सीताराम सेवक का नाम पुजारी के रूप में राजस्व रेकार्ड में बतौर भूमिधारी दर्ज है तथा बतौर काश्तकार नाथू पिता रामा के नाम दर्ज है। उक्त आराजी पुश्तैनी होकर वादी के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज होने के बावजूद बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रचलित कानून से परे जाकर भू प्रबन्ध में गैर कानूनी रूप से अपने अधिकारों से परे जाकर श्री रूपनारायण जी स्थान देह खातेदार पुजारी सीताराम श्री नाथू पिता रामा गुर्जर साकिन देह खडमदार के नाम दर्ज कर दी गई है। वादग्रस्त आराजी के नये नम्बर 1447 रकबा 0.32 हेक्टर दर्ज किये गये । जिसे वादी की पुश्तैनी खातेदारी कब्जेकाश्त की भूमि होने के कारण एवं नाथू पिता रामा का देहान्त हो जाने से वादी के नाम दर्ज कराई जावे।

2. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

पत्र स्वीकार किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थीगण ने वादग्रस्त आराजी के बाबत प्रत्यर्थी/वादी एवं इनके वारिसान के विरूद्ध एक वाद पत्र स्थाई निषेधाज्ञा बाबत अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है जिसकी जानकारी प्रत्यर्थी/वादी को थी फिर भी प्रत्यर्थी/वादी ने अपीलाधीनमामले में अपीलार्थीगण को जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया गया था। अपीलार्थी ट्रस्ट का वादग्रस्त भूमि में हित निहित है । अपीलार्थी व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आता है। अतः अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जावे।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जिसमें अपीलार्थी को पक्षकार नहीं बनाया गया जिससे अपीलार्थी को उक्त निर्णय की जानकारी नहीं हो पाई। प्रत्यर्थी/वादी ने दिनांक 5.9.2013 को जब उक्त भूमि पर आकर अपीलार्थीगण को धमकी दी कि वह उक्त भूमि पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि उसके द्वारा उक्त भूमि अपने नाम दर्ज कराने का दावा अधीनस्थ न्यायालय से स्वीकार करा लिया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री एवं नकल की प्रति प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

6. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजियात श्री रूपनारायण देह स्थान की है एवं देवस्थान मामले में आवश्यक पक्षकार थे उसके बावजूद उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया । देवस्थान को पक्षकार बनाये बिना ही देवस्थान की भूमि के बारे में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है जो खारिज योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि ग्राम करणगढ तहसील आसीन्द की आराजी नम्बर 1477 रकबा 0.32 हे0 जो देवस्थान रूपनारायण जी स्थान देह मंदिर के नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज है, जिस पर समस्त जनता ग्राम करणगढ की ओर से ट्रस्ट मन्दिर की प्रबन्ध व्यवस्था करता है एवं मन्दिर के हितार्थ यथा मन्दिर की सेवा पूजा कराना, सम्पति की सुरक्षा व्यवस्था, रख–रखाव एवं धार्मिक उत्सव इत्यादि सम्पन्न कराने के कार्य करताहै तथा मन्दिर ट्रस्ट की मुख्य आय का स्त्रोत कृषि भूमि उक्त आराजी नम्बर 1477 रकबा 0.32 हे0 से है। मन्दिर की सेवा पूजा करने के ग्रामवासियान एवं अपीलार्थी ट्रस्ट ने बालूदास बैरागी को पुजारी नियुक्त कर रखा है । मन्दिर की उक्त भूमि से होने वाली आय मन्दिरके विकास, सेवा पूजा एवं धार्मिक आयोजनों में खर्च की जाती है।

8. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि प्रत्यर्थी/वादी का रूपनारायण जी स्थान देह की मन्दिर की उक्त भूमि से कोई लेना–देना नहीं है फिर भी वह इस भूमि के पडौसी होने से मन्दिर की उक्त भूमि को भी अपनी भूमि में मिलाकर नाजायज तौर पर हडपने पर आमादा है। इसी उद्धेश्य से प्रत्यर्थी/वादी ने मिथ्या एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय में उक्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

वाद पत्र प्रस्तुत कर दिया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी पत्रावली का गहन अवलोकन एवं मनन किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थी/वादी के पिता का अथवा प्रत्यर्थी/वादी का कभी कब्जाकाश्त नहीं रहा है । उक्त वादग्रस्त आराजी प्रत्यर्थी/वादी की पुश्तैनी भूमि नहीं होकर रूपनारायण जी स्थान देह के खातेदारी की भूमि है जो देवस्थान विभाग के अन्तर्गत आती है एवं उक्त भूमि में अपीलार्थी ट्रस्ट एवं समस्त जनता करणगढ का भी हित निहित है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि वादग्रस्त हाल आराजी नम्बर 1477 के साबिक आराजी नम्बर 196 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा रूपनारायण जी स्थानदेह सेवत्री भूमि धारक के रूप में दर्ज है । इस प्रकार यह भूमि देवस्थान श्री रूपनारायण जी देह स्थान सेवत्री की है। भू प्रबन्ध विभाग ने वादग्रस्त आराजी की प्रविष्ठियॉ विधि अनुसार एवं प्रचलित कानून के अनुसार की है। जो विधिसम्मत है। वादग्रस्त आराजी के प्रत्यर्थी/वादी कभी भी खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड नही रहे हैं न ही यह प्रत्यर्थी/वादी की पुश्तैनी आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने मनमकसूद तरीके से बिना राजस्व रेकार्ड के वादग्रस्त आराजी को प्रत्यर्थी/वादी की मानकर अपीलाधीन निर्णय परित कर प्रत्यर्थी/वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी/प्रत्यर्थी राज्य सरकार की ओर से जवाब प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय को तनकियात कायम कर उपलब्ध साक्ष्य के

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आधार पर तनकीवाईज निर्णय पारित करना चाहिये था। मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग है जिसकी भूमि किसी व्यक्ति के नाम पर खतेदारी हक से दर्ज नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अनाधिकार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त भूमि रूपनारायण जी स्थानदेह के नाम पर दर्ज है जो देवस्थान विभाग के अन्तर्गत है। प्रत्यर्थी/वादी ने ने जानबूझकर देवस्थान विभाग को पक्षकार संयोजित नहीं किया है व मिलाभगती कर अपीलाधीन निर्णय एंवं डिक्री पारित कराई है जो निरस्त योग्य है।

13. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि उक्त प्रकरण में दिनांक 16.8.2012 को तारीख पेशी दिनांक 31.10.2012 नियत की गई थी, चूंकि पीठासीन अधिकारी जी का स्थानान्तरण दिनांक 30.9.2012 को हो गया था एवं प्रत्यर्थी वादी ने तत्कालीन पीठासीन अधिकारी से सांठ–गांठ कर उक्त प्रकरण को उनके स्थानान्तरण से पूर्व निर्णित कराने हेतु एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत की भावना से प्रस्तुत कर प्रकरण निर्णित कराना बता प्रार्थना पत्र पर दिनांक 27. 9.2012 की तारीख अंकित कर पेश किया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना दूसरे पक्ष को सुनवाई का मौका दिये अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है। जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को निरस्त किया जावे।

14. प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया एवं साथ ही निवेदन किया कि वादग्रस्त

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

साबिक आराजी नम्बर 196 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा, भूमि जमाबंदी संवत 2009 से 2013 व संवत 2015 से 2018 में नाथू पिता रामा गुर्जर साकिन देह के नाम खातेदारी दर्ज रेकार्ड होकर जागीर पुनर्गृहण अधिनियम 1952 से पूर्व से ही काबिज काश्त चली आ रही है। राजस्थान जागीर पुनर्गृहण अधिनियम 1952 लागू हुआ उस वक्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में लागू हुआ उस वक्त भी नाथू पिता रामा बतौर काश्तकार भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहा है। उक्त आराजी पुश्तैनी होकर वादी के पिता के नाम राजस्व रेकार्ड में खातेदारी दर्ज होने के बावजूद बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रचलित कानून से परे जाकर भू प्रबन्ध में गैर कानूनी रूप से अपने अधिकारों से परे जाकर श्री रूपनारायण जी स्थान देह खातेदार पुजारी सीताराम श्री नाथू पिता रामा गुर्जर साकिन देह खडमदार के नाम दर्ज कर दी गई थी। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण पुनः वादी/प्रत्यर्थी संख्या 1 के नाम दर्ज किये जाने का जो निर्णय पारित किया गया है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावे।

15. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 के येाग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि जागीर एक्ट की धारा 9 में खड्मदार को खातेदार माना गया है। दिनांक 24.5.2007 के परिपत्र के अनुसार इस अधिनियमके प्रारंभ के समय जो व्यक्ति राजस्व रेकार्ड में खड्मदार दर्ज थे वे खातेदार बने रहेंगें। पूर्व में जागीरें हुआ करती थी उनके स्थान पर वर्तमान में सरकार आ गई है। जागीर के समय संवत 2009 से 2013 में भी रूपनारायण जी भूमिधारक के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज थे एवं खातेदार तो प्रत्यर्थी/वादी के पिता ही रहे हैं। प्रत्यर्थी/वादी के पिता एवं उसके बाद में वादी खातेदार के रूप में काबिज काश्त रहे हैं।

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

16. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट है। राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 की धारा 29 के अनुसार अपंजीकृत न्यास द्वारा वादों के विरूद्ध वर्जन का प्रावधान है। अपीलार्थीगण को दावा प्रस्तुत करने का ही अधिकार नहीं था। अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 के योग्य अधिवक्ता ने न्यायिक उद्धरण आर आर डी 1991 पेज 06, आर आर टी 2001 पेज 388, आर बी जे 95 पार्ट पेज 106 प्रस्तुत कर अपील अपीलार्थीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

17. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपील के साथ धारा 96 सी पी सी प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही गई है। अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

18. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । अपीलार्थी ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जाती है।

19. साबिक आराजी नम्बर 191 रकबा 1 बीघा 06 बिस्वा जिसके हाल आराजी नम्बर 1477 रकबा 0.32 हेक्टेयर है। उक्त आराजी संवत 2009 से 2013 एवं 2015 से 2018 में भूधारक के कॉलम में श्री रूपनारायण जी स्थान सेवंत्री एवं सीताराम सेवंत्री पुजारी दर्ज है एवं काश्तकार के कॉलम में प्रत्यर्थी संख्या 1/वादी के पिता नाथू वल्द रामा गुर्जर का नाम दर्ज रेकार्ड है। वादग्रस्त आराजी प्रत्यर्थी संख्या

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

1/वादी के पिता नाथू वल्द रामा की पुश्तैनी आराजी नहीं होकर नाथू वल्द रामा बतौर खड़मदार वादग्रस्त आराजी में दर्ज रेकार्ड थे। चूंकि वादग्रस्त भूमि श्रीरूपनारायण जी स्थान देह की होकर मूर्ति नाबालिग होने से देवस्थान विभाग को प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार संयोजित कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर ही अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय पारित किया जाना चाहिये था।

20. अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थी/वादी के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत कर रखा था। प्रत्यर्थी/वादी को इस तथ्य की जानकारी होने के बावजूद उसके द्वारा अपीलार्थीगण को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है। जबकि प्रकरण में अपीलार्थीगण मंदिर के ट्रस्टी है एंवं चूंकि वादग्रस्त भूमि श्रीरूपनारायण जी स्थान देह की होकर मूर्ति नाबालिग होने से अपीलार्थीगण एवं देवस्थान विभाग दोनों ही आवश्यक पक्षकार थे। जिन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं मिल सका । चूंकि अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार संयोजित नहीं कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है एक अन्य अपील 180/2016 देवस्थान विभाग द्वारा भी न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई थी। जिसमें भी प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने का निर्णय दिया गया है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालयकी पत्रावली आगामी कार्यवाहीर हेतु दिनांक 31.10.2012 को नियत थी। उसके बावजूद बिना प्रतिवादीगण को सूचित करे मात्र वादी द्वारा लोक अदालत की भावना से निस्तारण एवं निर्णय करने के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 27.9.2012 को ही पत्रावली तलब कर प्रकरण में निर्णय पारित कर दिया गया । इस प्रक्रिया को न्यायहित में कतई उचित नहीं माना जा सकता। लोक अदालत की भावना से मात्र आपसी सहमति के प्रकरण निस्तारित किये

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

जा सकते हैं। प्रकरण में तो राज्य सरकार द्वारा मंदिर की भूमि हेतु वाद में चाहे गये अनुतोष को अस्वीकार करने का जवाब प्रस्तुत होने पर भी बिना प्रतिवादीगण को सुने एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है।

21. अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 27.9.2012 अपास्त की जाती है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि सबंधित को पक्षकार बनाया जाकर प्रकरण मे दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकियात कायम कर उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, दस्तावेजों का अवलोकन कर तनकीवाईज गुणावगुण के आधार पर अज सिरे नो निर्णय पारित किया जावे । उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.2.19 को उपस्थित रहें।

22. निर्णय आज दिनांक 3.1.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

3/1/19

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा